दिनांकः— 23.10.2018 को अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में द्वितीय अंतर्विभागीय पदाधिकारियों के बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः—

1. श्री सुधीर प्रसाद अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
3. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
4. श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
5. श्री मनोज कुमार, निदेशक, समाज कल्याण विभाग।
6. श्रीमती निशात अम्बर, महिला पर्यवेक्षिका, प्रतिनियुक्त, समाज कल्याण निदेशालय।
7. डॉ0 (श्रीमती) दिपावली, नोडल ऑफिसर, Maternal Health
8. श्री नलिन कुमार, Consultant Maternal Health, NHM

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से खाद्य आयोग का परिचय कराया गया एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :—

- इन विषयों पर पहली बैठक दिनांक — 24.11.2017 को हुई थी। 11 माह के बाद भी किसी विभाग से अनुपालन प्राप्त नहीं हुआ है। बैठक की कार्यवाही की प्रति आज उपलब्ध कराई गई एवं अनुरोध किया गया कि इसका अनुपालन भेजें।

आंगनबाड़ी कार्यक्रम :—

1. निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन देने का कार्य अभी प्रगति में है, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूरा कर लिया जायेगा। राज्य में कुल 94 कुपोषण उपचार केन्द्र है। पश्चिमी सिंहभूम में अच्छा काम हुआ है। MTC में भर्ती होने वाले बच्चों के माताओं को प्रतिदिन उनका मुआवजा भत्ता 100 रु0 दिया जाता है। भुगतान से संबंधित रिपोर्ट एवं Payment का क्या System है, की कॉपी आयोग को उपलब्ध कराने का निदेश डॉ0 (श्रीमती) दिपावली को दिया गया।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, राज्य खाद्य आयोग ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। पश्चिमी सिंहभूम (चक्रधरपुर) के कुपोषण उपचार केन्द्र के संबंध में श्री उराँव ने जानकारी दी कि यह सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आयोग के बजट में प्रशिक्षण के लिये राशि उपलब्ध है। उसमें व्यय शून्य है। श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य प्रशिक्षण का प्रस्ताव दें। आवश्यकतानुसार आयोग भी प्रशिक्षण दे सकता है।

3. श्री हलधर महतो, सदस्य, राज्य खाद्य आयोग ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को वर्ष में 300 दिन भोजन देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 की धारा – 5 (क) के अनुसार तीन से छः वर्ष के आंगनबाड़ी केन्द्र के पंजीकृत सभी बच्चे राज्य सरकार द्वारा तय मेन्यू एवं अनुसूची 2 के अनुसार तय मानक पोषाहार के हकदार हैं। पुनः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 की धारा – 8 के अन्तर्गत एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या – 149 (E) के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र से तीन दिन तक लगातार अथवा माह में पाँच दिन तय मानक मेन्यू के अनुसार नाश्ता एवं गर्म पका–पकाया भोजन नहीं मिलता है तो यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन है।

ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा – 8 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या – 149 (E) के खण्ड – 8 के अनुसार सभी बच्चे तय मानक लागत के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता के हकदार हैं। इसी तरह से नियम – 3 में उल्लेखित सभी लाभुक भी नियम – 5 में उल्लेखित खाद्य अथवा खाद्य पदार्थ के न मिलने की स्थिति में नियम – 11 के तय लागत के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के हकदार हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों से दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा – 12 (घ) (जन वितरण प्रणाली के लिये अनुमान्य के तर्ज पर) राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित विवरणी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के अनुसार प्रत्येक लाभुक को दी जाने वाली हकदारियों की विवरणी जन साधारण के अवलोकन एवं जाँच हेतु सार्वजनिक रुप से सुलभ करानी है। निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र से संबंधित सभी सूचनाओं एवं जानकारियों को नवंबर, 18 तक पूर्ण कर लिया जाना है।

4. दिनांक – 24.11.2017 की बैठक में निर्णय लिया गया था कि आंगनबाड़ी केन्द्रों से दी जाने वाली सेवाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में इसके शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था को दर्शाते हुए दीवार लेखन या आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर बड़े–बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाय। यह कार्य अब तक लंबित है, निदेशक, समाज कल्याण विभाग इसका अनुपालन करावें।

5. ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम (RBSK) अन्तर्गत छः सप्ताह से छः वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में एवं कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित छात्रों के सम्बन्ध में निम्न जाँच किया जाना है :–

   (i) जन्म के समय विकार।

(ii) विभिन्न प्रकार की कमियों, यथा खून की, विटामिन A,D, अति गंभीर कुपोषित इत्यादि।

(iii) बचपन की बिमारियों एवं विकास में देरी एवं विकलांगता इत्यादि।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान माननीय सदस्यों के संज्ञान में आया कि RBSK के योजना की पहुँच अभी तक आंगनबाड़ी केन्द्रों तक नहीं है एवं बच्चों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाया है। उदाहरण स्वरुप, पूर्वी सिंहभूम जिले के खड़िया बांधा आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों का हवाला दिया गया, जहाँ ज्योत्सना मुण्डा एवं रुही बाड़ा दोनों को RBSK योजना अन्तर्गत कम से कम एक बार तो अवश्य जाँच लिया जाना था, परन्तु दोनों को अब तक किसी भी स्वास्थ्य टीम द्वारा नहीं देखा गया।

अतः निर्णय लिया गया कि RBSK के कार्यक्रम के राज्य के नोडल अधिकारियों से गत एक वर्ष का प्रतिवेदन मंगाया जाय। तत्पश्चात् उसका विश्लेषण कर आगे की रणनिति तय की जा सके।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा – 8 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा का भुगतान करने एवं शीर्ष खोलने का निदेश दिया गया। निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित एवं इससे संबंधित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देश, सर्कुलर इत्यादि की संकलित प्रति राज्य खाद्य आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई।
7. सभी संबंधित विभागों को नया शीर्ष खोल कर वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट प्रावधान करने का परामर्श पत्रांक – 99 दिनांक – 19.02.18, पत्रांक – 477 दिनांक – 10.08.18 एवं पत्रांक – 567 दिनांक – 17.09.18 द्वारा दिया गया है। बजट प्रावधान करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया।
8. बैठक में कुपोषण उपचार केन्द्र के पास ही दाल भात केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा हुई एवं इस संबंध में राज्य खाद्य आयोग द्वारा दिशा निर्देश देने का प्रस्ताव डॉ0 (श्रीमती) रंजना कुमारी को दिया गया।
9. अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग द्वारा जानकारी दी गई कि महाराष्ट्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में Hot Cook Meal का संचालन SHG द्वारा किया जा रहा है। इसे झारखण्ड में भी लागू किया जा सकता है।

<u>प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना :–</u>

10. श्री हलधर महतो, सदस्य, राज्य खाद्य आयोग द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के संचालन में समाज कल्याण विभाग से स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन ससमय करता है एवं प्रत्येक गाँव से पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लाभुक भी गर्भवती महिलाएँ ही हैं एवं इनका भी प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के भुगतान के लिये प्रक्रिया ऑनलाइन

ही है। अर्थात् एक गाँव में जितनी प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के योग्य लाभुक हैं, उनकी सूची स्वास्थ्य विभाग के पास भी उपलब्ध है। पहली किश्त की राशि आंगनबाड़ी केन्द्रों में रजिस्ट्रेशन के उपरान्त मिल जाती है, बाकि दो किश्त की राशि का भुगतान सशर्त है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भूमिका है।

तोरपा प्रखण्ड के तिरला गाँव अवस्थित आंगनबाड़ी केन्द्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017 में इस आंगनबाड़ी केन्द्र से पंजीकृत महिलाओं की सूची उपलब्ध थी एवं उन्हें प्रथम किश्त की राशि का भुगतान भी हो चुका था। वर्ष 2018 में भ्रमण के दौरान 4 अक्टूबर, 2018 तक एक भी महिलाओं का पंजीयन नहीं कराया गया है और न ही उनका कोई रिकॉर्ड में उपलब्ध हो पाया। भ्रमण के दौरान इस आंगनबाड़ी केन्द्र में VHND का कार्यक्रम तय था। उपस्थित ANM से जानकारी लेने पर पता चला कि वर्ष 2018 में भी प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिये योग्य लाभुक 4 या 5 की सूची ANM के पास थी, जो कि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

अतः यदि स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का पोर्टल का मिलान VHND के दौरान या प्रखण्ड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में किया जाता, तो प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लाभुक को उनके हक से वंचित नहीं हो पाता। सदस्यों द्वारा यह चिन्ता जाहिर की गई कि ससमय प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का भुगतान न हो पाने की स्थिति में कुपोषण के विरुद्ध अभियान की प्रगति में काफी बाधा पहुँचेगी।

अतः निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में NHM की ओर से RBSK के नोडल अधिकारी, RCH एवं Maternal Health के नोडल अधिकारियों के साथ–साथ समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिये नियुक्त नोडल अधिकारी को भी बैठक में बुलाया जाय, ताकि RBSK एवं प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के सफल संचालन एवं ऑनलाइन समीक्षा को कारगार बनाया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि इन सभी विभागों के ऑनलाइन व्यवस्था को देखने के लिये IT Consultant को भी बुलाया जाय, जो यह सुझाव दे कि स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत प्रथम बार गर्भवती महिलाओं की सूची और प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के योग्य लाभुकों की सूची को ग्राम स्तर/प्रखण्ड स्तर/जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर साथ – साथ कैसे देखा जा सकता है।

इस संबंध में पंचायत एवं वार्ड स्तर पर Conversence का कार्य करने हेतु मुखिया/वार्ड सदस्य को आयोग से निदेश निर्गत करने का प्रस्ताव श्री हलधर महतो, सदस्य दें।

11. निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि पहली किश्त Registration के समय ही मिल जाता है एवं दूसरी किश्त का Payment ANM के प्रतिवेदन के बाद मिलता है। प्रत्येक माह

VHND दिवस मनाया जाता है। इसकी नियमित बैठक की जाती है। बैठक में समस्याओं के निदान हेतु निरंतर प्रयास किया जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि 2017 में बकाया राशि का भुगतान महिलाओं को किया जायेगा।

12. निदेशक, समाज कल्याण एवं डॉ0 दिपावली, नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को निम्न गाइडलाईन आयोग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :–

(i) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से संबंधित गाइडलाईन।

(ii) आंगनबाड़ी से संबंधित Supervision Inspection Norms की प्रति।

(iii) स्वास्थ्य कुपोषण उपचार केन्द्र से सम्बन्धित पत्रों की प्रति।

13. Digitalization और पारदर्शिता पर जानकारी दी गई कि समाज कल्याण विभाग में

(क) Public Grievance Management System (PGMS) अभी विकसित नहीं हुआ है, किन्तु प्रयास किया जा रहा है।

(ख) Digitalization के संबंध में जानकारी दी गई कि समाज कल्याण विभाग में Digitalization का काम चल रहा है। इसी महीने के अंत तक पूर्ण हो जाएगा, अभी इस पर जितना भी काम किया गया उसके प्रतिवेदन की प्रति मांगी गई।

(ग) निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि प्रत्येक 6 माह में विभाग द्वारा Social Audit कराया जाता है। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा Social Audit करवाया गया है।

आयोग द्वारा Social Audit के रिपोर्ट/फलाफल पर एक प्रतिवेदन की मांग की गई।

इससे संबंधित कार्रवाई करने का निदेशक, समाज कल्याण विभाग को दिया गया।

14 विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य खाद्य आयोग को निदेश दिया गया कि वे Power Point Presentation हेतु दर निर्धारित करने की कार्रवाई करें।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0 (विविध) 104/2018 – 685 राँची, दिनांकः– 23.10.18

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0 (विविध) 104 / 2018 – 685 राँची, दिनांकः– 23.10.18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0 (विविध) 104 / 2018 – 685 राँची, दिनांकः– 23.10.18

प्रतिलिपिः– निदेशक, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग / निदेशक, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग / निदेशक, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0 (विविध) 104 / 2018 – 685 राँची, दिनांकः– 23.10.18

प्रतिलिपिः– डॉ0 (श्रीमती) दिपावली, नोडल ऑफिसर, Maternal Health / श्री नलिन कुमार, Consultant Maternal Health, NHM / श्रीमती निशात अम्बर, महिला पर्यवेक्षिका, प्रतिनियुक्त, समाज कल्याण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0 (विविध) 104 / 2018 – 685 राँची, दिनांकः– 23.10.18

प्रतिलिपिः– श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग / श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।